झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या –वा0कर/कम्प्यु0/09/2012–2938 /राँची, दिनांक –6/6/13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन घोषणा पत्र **JVAT 504B** की योजना से 200 करोड़ रूपये से अधिक कर–देय सकल आवर्त के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को विमुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– **विभागीय परिपत्र संख्या– 2624 दिनांक 20.05.2013**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा **दिनांक 01.06.2013** के प्रभाव से सभी निबंधित व्यवसायियों के लिए ऑनलाईन घोषण पत्र ***JVAT 504B*** का निर्गमन अनिवार्य किया गया है। बड़े निबंधित व्यवसायियों द्वारा अधिक संख्या में ऑनलाईन घोषण पत्र ***JVAT 504B*** के निर्गमन में अनुभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक 200 ***करोड़ रूपये*** से अधिक कर–देय सकल आवर्त के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को विमुक्त किया जाता है। ऐसे व्यवसायी विभागीय पत्रांक 632 दिनांक 27.02.2012 द्वारा विहित प्रकिया के अधीन अनुज्ञापत्र JVAT 504B की विमुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।

विश्वासभाजन

5.6.13

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।

/पंकज